न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 130/2019

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1. जबरदान पत्र कृष्णदान 2. महेशदान पुत्र कृष्णदान जाति चारण निवासी औगाला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. जेकदान पुत्र रतनदान 2. तेजदान पुत्र रतनदान जातियान चारण 3. जसाराम पुत्र केशराराम 4. किशनाराम पुत्र केशराराम जाति गुरूड़ा निवासीगण औगाला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 5. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) गुड़ामालानी जिला बाड़मेर। 6. तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता

प्रार्थीगण अधिवक्ता –श्री महिपालदान चारण

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16/03/2026

प्रार्थीगण जबरदान पुत्र कृष्णदान जाति चारण निवासी औगाला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि "प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा औगाला पटवार क्षेत्र [illegible] भू.अभि.निरीक्षक क्षेत्र बामड़ला तहसील सेड़वा में खसरा नंबर 749/566 [illegible] आया हुआ है, जो भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:41:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी, टांके, लाटा आदि बने हुए है। उक्त खसरा की नकल चालू जमाबंदी एवं आंशिक नक्शा साथ पेश है। प्रार्थीगण के सेढा–सेढ ही सड़क मार्ग खसरा नम्बर 750/566 रकबा 02 बीघा चलता है तथा सड़क से आगे विप्रार्थी संख्या 01 से 04 की भूमि खसरा नम्बर 751/566 आया है जो सड़क मार्ग प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की भूमि के मध्य स्थित है परन्तु जब उक्त मार्ग पर मौके पर डामर सड़क का निर्माण किया गया तब उक्त सड़क की पैमाईश नहीं की गई तथा बिना पैमाईश किये ही वास्तविक स्थान पर सड़क का निर्माण नहीं कर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 749/566 में सड़क का निर्माण कर दिया है तथा सड़क की तरमीम राजस्व रेकर्ड में की गई वो तरमीम मौके पर सड़क के अनुसार नहीं की गई। सड़क मार्ग खसरा नम्बर 750/566 की तरमीम की गई जो तरमीम मौके पर सड़क के निर्माण के अनुसार नहीं की गई तथा लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद सड़क मार्ग में भारी अन्तर है। राजस्व कर्मचारियों ने वादग्रस्त भूमि की मौके की जांच किये बिना एवं प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 से 04 के कब्जा काश्त व मौके पर चल रही सड़क के अनुसार तरमीम नहीं की गयी। मौके पर वर्तमान में सड़क मार्ग संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाये बरंग लाल स्थान पर है तथा वहीं पर सड़क का निर्माण करवाया हुआ है तथा इसी अनुसार राजस्व अधिकारियों को सड़क की भूमि की तरमीम करनी थी, परन्तु राजस्व अधिकारियों ने मौके पर न जाकर तथा मौके की जांच किये बिना गलत तरमीम कर दी है, जिसे प्रार्थीगण मौके पर सड़क के अनुसार तरमीम दुरुस्त करवाने के विधिक अधिकारी है। संलग्न परिशिष्ट "अ" को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग व अंश समझा जावें। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लट्ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर मौजूद प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 से 04 के कब्जा काश्त व सड़क के अनुसार नहीं करके गलत (अशुद्ध) तरमीम कर दी गई अर्थात लट्ठा ट्रेस की तरमीम व वादग्रस्त खेतों के मौके के कब्जा काश्त की स्थिति व मौजूद सड़क मार्ग में भारी भिन्नता है, इसलिये प्रार्थीगण अपने खेत के कब्जा काश्त अनुसार तथा मौके पर मौजूद चल रहे सड़क मार्ग जो परिशिष्ट "अ" में बरंग लाल दर्शाई गई है, उस अनुसार तरमीम शुद्धि करवाना चाहते है, जिस हेतु यह तरमीम शुद्धिं का प्रार्थना पेश है। सड़क मार्ग मौके पर संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:41:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

बरंग लाल के अनुसार चल रही है, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने मौके की जांच किये बिना ही लट्ठा ट्रेस में सड़क की गलत स्थान पर गलत तरमीम कर दी गई, जो मौके के अनुसार नहीं की गई है। लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम के अनुसार सड़क मौके पर मौजूद नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण मौके पर चल रही सड़क के अनुसार लट्ठा ट्रेस में सही तरमीम करवाना चाहते है। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण को वादग्रस्त सड़क व भूमि की तरमीम सही न होने की जानकारी पूर्व में नहीं हुई तथा अरसा 10 दिन पूर्व प्रार्थीगण ने अपने खेत का सीमाज्ञान दिनांक 01.11.2019 को करवाया, तो प्रार्थीगण की भूमि पर मौके की स्थिति व तरमीम में भारी भिन्नता पाई गई। जिस पर यह प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश किया जा रहा है। अतः श्रीमानजी के समक्ष तरमीम दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के खेत मौजा ओगाला पटवार क्षेत्र ओगाला तहसील सेडवा जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 749/566 रकबा 01.05 बीघा व सडक मार्ग खसरा नम्बर 750/566 रकबा 02 बीघा व विप्रार्थी संख्या 01 से 04 के खेत खसरा नम्बर 751/566 रकबा 02 बीघा की लट्ठा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को दुरुस्त कर मौके पर चल रही सड़क के अनुसार लट्ठा ट्रेस में सही तरमीम संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए बरंग लाल के अनुसार दुरुस्त (शुद्धिकरण) करवाने का आदेश फरमावें।''

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक पीजीकेएसए/2021/60 दिनांक 22.11.2021 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2025/1149 दिनांक 07.11.2025 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन **''मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व मौतबरानों के रूबरू ग्राम औगाला के खसरा संख्या 749/566, 750/566 व 751/566 की भूमि की मौका जांच व राजस्व रेकार्ड का मिलान किया गया। ग्राम औगाला के खसरा संख्या 749/566 रकबा 0–2023 हैक्टेयर खातेदार महेशदान पि. कृष्णदान कौम चारण, खसरा संख्या 750/566 रकबा 0–3[illegible] हैक्टेयर गै.मु. सड़क पीडब्ल्यूडी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.22 19:43:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

विभाग व खसरा संख्या 751/566 रकबा 0–3237 हैक्टेयर भूमि किशनाराम पुत्र केसराराम वगैरा के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी में सड़क मार्ग का नामान्तरकरण दायर करते वक्त तरमीम का सही अंकन नहीं किया गया, वर्तमान में मौके पर चल रही डामर सड़क व रेकर्ड में तरमीम में भिन्नता है। संलग्न नक्शे में परिशिष्ट 'अ' में वर्तमान गलत तरमीम का अंकन किया गया है, जबकि परिशिष्ट 'ब' में अंकित प्रस्तावित तरमीम को मौके पर डामर सड़क के अनुसार प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित तरमीम दुरुस्ती से उपर्युक्त खसरा संख्याओं के रकबे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। संलग्न नक्शे में परिशिष्ट 'ब' कब्जा अनुसार तरमीम दुरुस्ती किया जाना उचित है। संलग्न नक्शा मौका फर्द(तरमीम दुरुस्ती) का अभिन्न अंग है। मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर/अ.नि. अंकित करवाए गए।''

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, मौका रिपोर्ट तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 130/2019 उनवान जबरदान वगैरा बनाम जेकदान वगैरा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन अनुसार मौजा औगाला पटवार क्षेत्र औगाला, भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के खसरा संख्या 749/566 रकबा 0–2023 हैक्टयर, खसरा संख्या 750/566 रकबा 0–3237 हैक्टेयर व खसरा संख्या 751/566 रकबा 0–3237 हैक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार सेड़वा द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 02.10.2025 के संलग्न दर्शित परिशिष्ट 'ब' अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:41:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

तहसीलदार सेड़वा के तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में दर्शित नक्शे परिशिष्ट 'ब' अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू. अ./2026/1149 दिनांक 07.11.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 02.10.2025, खसरा नक्शा, परिशिष्ट 'ब' व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/03/2026 को खुले इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:41:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

/भू.अ./2025/ 1149 दिनांकः– 07-11-2025

प्रेषितः–

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला– बाड़मेर)

विषयः– राजस्व वाद संख्या 130/2019 अनवान जबरदान वगैरह बनाम जेकदान वगैरह अन्तर्गत RLR धारा 131,136 में तरमीम दुरस्ती रिपोर्ट भेजने बाबत।

प्रसंगः– श्रीमान जी का आदेश क्रमांक/रीडर/2022/2249 दिनांक 10.11.2022 के क्रम में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 130/2019 अनवान जबरदान वगैरह बनाम जेकदान वगैरह में मौजा ओगाला के खसरा 749/566, 750/566 व 751/566 की अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR ACT में तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी भू.अ. निरीक्षक पनोरिया द्वारा दिनांक 02.10.2025 को मौका जांचकर वादी प्रतिवादी व पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों के रूबरू जांच रिपोर्ट तैयार पेश गई । जो इस पत्र के सलंग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

सलंगनः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:41:09 IST
Reason: SelfAttested

ओगाला
ग्राम ओगाला

परिशिष्ट 'अ' - वर्तमान तरमीम

प्रकरण आवेदन नं. 130/2019
बनाम जबरूदान वगैरह
बनाम जेकदान वगैरह
अन्तर्गत धारा 136, 131
RLR Act में प्र.
तरमीम दुरूस्ती

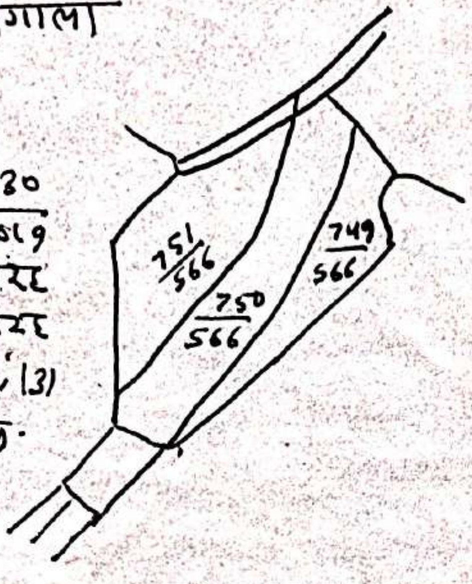

परिशिष्ट - 'ब'
मौका कब्जा अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

SDO सेड़वा

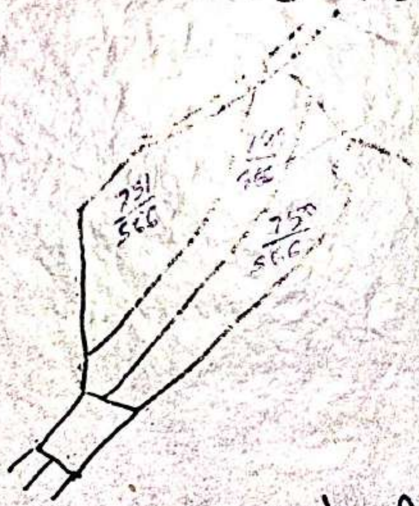

SDO सेड़वा

02/10/2025
(मांगीलाल माजू)
पटवारी (भू.अ.) ओगाला
तहसील सेड़वा

02/10/25
ILR पनोरिया

(भू.अ.) सेड़वा

महेशदान
(महेशदान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:41:09 IST
Reason: SelfAttested

मौका फर्द

पुष्टि की

आज दिनांक 02/10/2025 को श्रीमान तहसीलदार महोदय सेड़वा के आदेश क्रमांक/भू.अ./2024/3364-65 दि० 15.11.2022 एवं माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा के राजस्व आवेदन सं. 130/2019 अनवान जबरदान वगैरा बनाम जेठदान वगैरा अन्तर्गत 136, 131 RLR Act में ग्राम ओगाला के खसरा सं. 749/566 व 750/566, 751/566 की तरमीम दुरूस्ती की रिपोर्ट तैयार करने हेतु इल्का पटवारी ओगाला के साथ मौके पर आये।

मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व मौतबरान के समक्ष उपरोक्त खसरा भूमि की मौका जांच व राजस्व रेकर्ड से मिलान किया गया।

ग्राम ओगाला के खसरा सं. 749/566 रकबा 0.2023 हेक्टर, भूमि जबरदान महेशदान पि० कृष्णदान कौम चारण, खसरा सं. 750/566 रकबा 0.3237 हेक्टर गै०मु०सड़क PWD विभाग व खसरा सं. 751/566 रकबा 0.3237 हेक्टर भूमि० किशनाराम पुत्र केसराराम वगैरह के नाम राजस्व रेकर्ड मे खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी मे सड़क मार्ग का नामान्तकरण दायर करते वक्त तरमीम का सही अंकन नही किया गया, वर्तमान मे मौके पर चल रही डामर सड़क व रेकर्ड मे तरमीम में भिन्नता है। संलग्न नक्शे में परिशिष्ट 'अ' मे वर्तमान गलत तरमीम का अंकन किया गया है जबकि परिशिष्ट 'ब' में अंकित प्रस्तावित तरमीम को मौके पर डामर सड़क के अनुसार प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती से उपरोक्त खसरा संख्याओ के रकबे में किसी प्रकार का परिवर्तन नही हो रहा है। संलग्न नक्शे मे परिशिष्ट 'ब' कब्जा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित है।

संलग्न नक्शा मौका फर्द (तरमीम दुरूस्ती) का अभिन्न अंग है। आनि० अंकित मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर/ आनि० अंकित करवाये गये।

02/10/25
(मांगीलाल मीजू)
पटवारी (भू.अ.) ओगाला
तह सेड़वा

02/10/25
ILR पनोरिया

नि.
(महेशदान)

राजाराम

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:41:09 IST
Reason: SelfAttested